सं. ए-12023/01/2021-एनटीएच

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

12/2, जामनगर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली

दिनांक: 12th जुलाई, 2021

परिपत्र

विषय: राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कोलकाता, उपभोक्ता मामले विभाग में महानिदेशक के पद को भरना।

राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कोलकाता में महानिदेशक के पद को संयुक्त विधि-प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सहित पदोन्नति द्वारा भरने के लिए एक उपयुक्त अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता है। चयनित अधिकारी का वेतन सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। पद से संबंधित ब्यौरा अनुलग्नक-क में दिया गया है।

2. अनुरोध है कि पात्र और इच्छुक अधिकारियों के आवेदन जिन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है, कृपया अनुलग्नक-I और II के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करते हुए अग्रेषित करें, ताकि अवर सचिव (रा.प.शा.) (sonthp-ca@nic.in) उपभोक्ता मामले विभाग, 12/2, जाम नगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110001 को रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. अग्रेषण प्राधिकारियों को अपने आवेदनों के साथ संबंधित अधिकारियों के पिछले पांच वर्षों के अद्यतन चरित्र पंजी (कैरेक्टर रॉल्स)/एपीएआर भी भेजना होगा। आवेदन को अग्रेषित करते समय, प्रदाता प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है और उनके विरूद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित या विचारधीन नहीं है (अनुलग्नक-II)। अग्रेषण/प्रायोजक प्राधिकारी सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित अधिकारी पर पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाई गई बड़ी/छोटी शास्तियों की सूची, यदि कोई हो, प्रस्तुत की जाएगी। पद के लिए इच्छुक अधिकारियों को बाद में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(पी.एस.ठाकुर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011-23073612

प्रति:

सभी मंत्रालय/विभाग/प्रयोगशाला

विषय: राष्ट्रीय परीक्षणशाला कोलकाता में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (144200-218200) में महानिदेशक के पद (समूह 'क') को प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) और प्रोन्नति के आधार पर भरा जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कोलकाता जो कि उपभोक्ता मामले विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है, में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (144200-218200) में महानिदेशक के पद को समेकित रीति से, **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) और प्रोन्नति के आधार पर** निम्नलिखित में से भरे जाने का निर्णय लिया गया है:-

(I) केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसन्धान संस्थानों अथवा विकास संगठनों/अर्ध सरकारी, सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी आवेदन के पात्र हैं, जो :-

(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा

(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 - क में (वेतन 131100-216600) के वेतनमान या समतुल्य ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष से सेवारत हों; अथवा

(iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 में (वेतन 123100-215900) के वेतनमान या समतुल्य ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त तीन वर्ष से सेवारत हो; और

(ख) निम्नलिखित अनिवार्य योग्यताएं और अनुभव रखते हों;

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र (प्योर/एप्लाइड) या भौतिक शास्त्र (प्योर/एप्लाइड) में स्नातकोत्तर डिग्री या इंजीनियरिंग या धातु विज्ञान या वस्त्र अथवा रबड़ प्रौद्योगिकी में डिग्री अथवा समकक्ष; और

(ii) (क) धातुओं के परीक्षण और मूल्यांकन के क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष का अनुभव; या

(ख) मानकीकरण, गुणता आश्वासन और विश्वसनीयता के क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव सामग्री और स्वतन्त्र आयोजना तथा परियोजनाओं के निष्पादन के क्षेत्र में होना चाहिए।

वांछनीय:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायनशास्त्र अथवा भौतिकशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि या इंजीनियरिंग या धातु विज्ञान या वस्त्र अथवा रबड़ प्रौद्योगिकी में स्नातकोतर की उपाधि अथवा समकक्ष;

(ii) अधिमानत: किसी प्रयोगशाला में प्रशासनिक अनुभव; अथवा

(iii) औद्योगिक सामग्री और परीक्षण पद्धति विज्ञान में अनुसंधान का अनुभव।

(II) बाह्य आवेदकों के साथ-साथ, विभागीय निदेशक (ग्रेड-II) जो वेतन मैट्रिक्स 13 में स्तर 13 (123100-215900) ग्रेड में नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, पर भी विचार

किया जाएगा और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाता है, तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।

टिप्पणी-1 फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो सीधे पदोन्नति की सूची में है, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी-2 प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) की अवधि जिसमें उसी अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) की अवधि शामिल है, सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी-3 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी-4 नियुक्त के प्रयोजन के लिए 01 जनवरी, 2016 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा या 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित मैट्रिक्स में की गई सेवा की तारीख को तदनुरूपी स्तर पर की गई सेवा के स्तर में समझा जाएगा, सिवाय उस स्थिति के जहां उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों को सामान्य स्तर के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में वह स्तर बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(III) तैनाती स्थान कोलकाता है।

(IV) **पद से सम्बद्ध संक्षिप्त ड्यूटियां:**

महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षणशाला निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा - (i) कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, गुवाहाटी और जयपुर स्थित राष्ट्रीय परीक्षणशाला की सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं सहित राष्ट्रीय परीक्षणशाला की समग्र गतिविधियों के लिए। वह राष्ट्रीय परीक्षणशाला के विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा; (ii) परीक्षण और मूल्यांकन सुविधाएं बढ़ाने के लिए योजनागत स्कीम का कार्यान्वयन; (iii) राष्ट्रीय परीक्षणशाला की गतिविधियों का आवश्यकतानुसार विस्तार के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना;

2. अनुरोध है कि इच्छुक तथा उपर्युक्त योग्यताओं एवं अनुभव को पूरा करने वाले ऐसे अधिकारियों, जिन्हें इस पद के लिए चुने जाने पर तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन, संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक I और II) में पिछले पांच वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों/वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों, सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र, पिछले दस वर्षों के दौरान 'कोई शास्ति नहीं' संबंधी विवरण, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र तथा संवर्ग अनापत्ति प्रमाणपत्र सहित **इस पत्र के जारी होने या एम्प्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार समाचार में विज्ञापित होने की तारीख से 60 (साठ दिन)**

दिन के भीतर अवर सचिव (एनटीएच), (sonthp-ca@nic.in) उपभोक्ता मामले विभाग, गैलरी नं. 12/2, जामनगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011 को अग्रेषित कर दिए जाएं। उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना भेजे गए अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अग्रिम आवेदन/अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा

पवनजीत सिंह ठाकुर

(पीएस ठाकुर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष- 011-23073612

प्रति प्रेषित -

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम (लोक उद्यम विभाग के माध्यम से)।
3. सभी स्वायत्त निकाय।
4. सभी प्रयोगशालाएं/अनुसंधान संस्थान (परिशिष्ट- 1 के अनुसार)।
5. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से अनुरोध है कि सभी विश्वविद्यालयों के प्रधानों को अग्रेषित करे।
6. उप सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, नयु मेहरौली रोड, नई दिल्ली– 110016 से अनुरोध है कि अपने प्रशासनिक नियंत्रण के आने वाले सभी वैज्ञानिक संस्थानों में इस परिपत्र को प्रचालित करे।
7. भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 (अतिरिक्त प्रतियां)
8. उप सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर, अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों के साथ)
9. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षणशाला, सीपी ब्लॉक, सेक्टर V, साल्ट लेक, कोलकाता से अनुरोध है कि इस परिपत्र को एनटीएच वेबसाइट पर पोस्ट करें।
10. निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, डा. के. एस. कृष्णन रोड, नई दिल्ली- 110002
11. एनआईसी, उपभोक्ता मामले विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को वेबसाइट पर पोस्ट करने के लिए।

पवनजीत सिंह ठाकुर

(पी.एस ठाकुर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष- 011-23073612

1. पद का पदनाम : महानिदेशक
2. तैनाती का स्थान : राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कोलकाता
3. वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 : (वेतन 144200 रूपए -218200 रूपए)
4. पद की संख्या : 1 (एक)
5. वर्गीकरण : सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, गैर मंत्रालयी

6. पात्रता शर्तें : I. केन्द्र अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा विकास संगठनों अथवा अर्ध सरकारी, सार्वधिक अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी आवेदन के पात्र हैं, जो-

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; अथवा

(ii) स्तर13 ए वेतन मैट्रिक्स (वेतन 131100-21600 रूपए) के वेतनमान या मूल संवर्ग/विभाग में समतुल्य धारित ग्रेड में नियुक्ति के उपरांत नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा की हो; अथवा

(iii) स्तर 13 वेतन मैट्रिक्स (वेतन 123100-215900 रूपए) मूल संवर्ग/विभाग में समतुल्य धारित ग्रेड में नियुक्ति के उपरांत नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और निर्धारित अनुभव (नीचे क्रम संख्या 7 के अनुसार)

II. ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (वेतन 123100-215900 रूपए) में लेवल-13 में निदेशक (ग्रेड II) पर भी बाह्य आवेदकों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उन्हें पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है, इसे पदोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

नोट (1) फीडर श्रेणी के विभाग के अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति को पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।

7. शैक्षिक और अन्य आवश्यक अर्हताएं : **आवश्यक:**

(i) पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान (विशुद्ध अथवा अनुप्रयुक्त) या भौतिकी (विशुद्ध और अनुप्रयुक्त) में स्नाकोत्तर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग अथवा धातु विज्ञान अथवा वस्त्र अथवा रबड़ प्रौद्योगिकी में डिग्री अथवा समकक्ष और

(ii) (क) सामग्रियों का परीक्षण और मूल्यांकन के क्षेत्र में 15 वर्षों का अनुभव; अथवा

(ख) मानकीकरण, गुणता आश्वासन और विश्वसनीयता के क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव सामग्री और स्वतन्त्र आयोजन तथा परियोजनाओं के निष्पादन के क्षेत्र में होना चाहिए।

वांछनीय:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायनशास्त्र अथवा भौतिकीशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि या इंजीनियरिंग या धातु विज्ञान या वस्त्र अथवा रबड़ प्रौद्योगिकी में स्नातकोतर की उपाधि अथवा समकक्ष;

(ii) अधिमानत: किसी प्रयोगशाला में प्रशासनिक अनुभव; अथवा

(iii) औद्योगिक सामग्री और परीक्षण पद्धति विज्ञान में अनुसंधान का अनुभव।

नोट (1) अभ्यर्थियों के सुयोग्य होने के मामले में, उनकी योग्यता में छूट प्रदान करने का विशेषाधिकार संघ लोक सेवा आयोग के पास सुरक्षित है।

नोट (2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो इन समुदायों के अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव संबंधी अर्हता में छूट प्रदान करना संघ लोक सेवा आयोग का विशेषाधिकार है।

8. कार्य अपेक्षताएं : महानिदेशक राष्ट्रीय परीक्षण शाला निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करेंगे (i) कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, गुवाहाटी और जयपुर स्थित क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं सहित राष्ट्रीय परीक्षण शाला की संपूर्ण गतिविधियां। वे राष्ट्रीय परीक्षण शाला के विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे। (ii) परीक्षण एवं मूल्यांकन सुविधाओं के संवर्धन के लिए योजनागत स्कीमों का कार्यान्वयन (iii) अपेक्षताओं के अनुरूप राष्ट्रीय परीक्षण शाला की गतिविधियों को विस्तार देने के लिए विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

9. प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि : इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा केन्द्र सरकार के विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 58 (अठावन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

बायो-डाटा/जीवन वृत का प्रोफार्मा

1. नाम और पता (बड़े अक्षरों में)	
2. जन्मतिथि (ईस्वी सन में)	
3.i) सेवा में प्रवेश की तिथि	
ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख	
4. शैक्षिक अर्हताएं	
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं संतोषजनक हैं। (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित किसी अर्हता के समतुल्य समझा गया हो तो, उसके लिए प्राधिकारी का उल्लेख करें।)	

विज्ञापन/ रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित की गई वांछित अर्हताएं/ अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित किए गए अर्हताएं/ अनुभव
अनिवार्य	अनिवार्य
क) अर्हता	क) अर्हता
ख) अनुभव	ख) अनुभव
वांछित	वांछित
(क) अर्हता	क) अर्हता
(ख) अनुभव	ख) अनुभव

5.1 नोट: रोजगार समाचार में परिपत्र के जारी होने के समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा भर्ती नियमों में उल्लिखित वांछित और अनिवार्य अर्हताओं को दर्शाने के लिए इस कॉलम को विस्तृत किया जाना अपेक्षित है।

5.2 स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हताओं के मामले में, वैकल्पिक/अनिवार्य विषयों को अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित किया जाए।

6. कृपया आपके द्वारा की गई उपर्युक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से यह बताएं कि क्या आप पद की अनिवार्य अर्हताओं को पूरा करते हैं।	

6.1 नोट: आवेदित पद के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा धारित संगत अनिवार्य अर्हता/ कार्य अनुभव(बायोडाटा में यथा उल्लिखित) विभाग द्वारा अपनी विशिष्ट टिप्पिणियां/मत की पुष्टि करते हुए प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

7. कालक्रम के अनुसार नियोजन के ब्यौरे। यदि नीचे जगह कम हो तो अपने विधिवत हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित अलग कागज संलग्न करें।

कार्यालय/संस्था	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	*नियमित आधार पर धारित किए गए पद का वेतन बैंड/ग्रेड वेतन/वेतनमान	आवेदित पद के लिए आवश्यक अनुभव को रेखांकित करते हुए ड्यूटियों की प्रकृति (विस्तृत)

*महत्वपूर्ण: ए.सी.पी. और एम.ए.सी.पी. के तहत अधिकारी को स्वीकृत किए गए पे-बैंड और ग्रेड वेतन वैयक्तिक होते है और इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित किए गए पद के पे-बैंड और ग्रेड वेतन का उल्लेख किया जाना चाहिए। जहां अभ्यर्थी द्वारा ऐसे वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में एसीपी/एमएसीपी का हितलाभ प्राप्त किया गया हो वहां ऐसे हितलाभ के ब्यौरो का उल्लेख निम्नानुसार किया जाए;

कार्यालय/संस्था	एसीपी/एमएसीपी स्कीम के तहत आहरित वेतन, बैंड और ग्रेड वेतन	से	तक

8. वर्तमान नियोजन की प्रकृति अर्थात् तदर्थ अथवा अर्द्ध-स्थायी अथवा स्थायी	
9. यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है तो कृपया बताएं:-	

क) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि	ख) प्रतिनियुक्ति संविदा पर नियुक्ति की अवधि	ग) मूल कार्यालय/ संगठन का नाम जिससे आप संबंधित है।	घ) वर्तमान संगठन में कल्पित क्षमता में धारित पद का नाम तथा पद के लिए वेतन

9.1 नोट: अधिकारी के पहले से प्रतिनियुक्ति पर होने के मामले में, ऐसे अधिकारियों के आवेदनों को मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग निकासी, सतर्कता निकासी और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए। 9.2 नोट: उपरोक्त कॉलम 9(ग) और (घ) के तहत मांगी गई सूचनाएं उन सभी मामलों में दी जानी चाहिए जहाँ किसी व्यक्ति ने संवर्ग संगठन से बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण किया है लेकिन वह अभी अपने मूल संवर्ग/ संगठन में धरणाधिकार बनाए हुए हैं।	

10. यदि आवेदक द्वारा विगत समय में प्रतिनियुक्ति पर कोई पदधारण किया गया हो तो विगत प्रतिनियुक्ति से वापस आने की तिथि और अन्य ब्यौरे।	
11. वर्तमान नियोजन के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे: कृपया यह बताएं कि क्या निम्नलिखित के अधीन कार्यरत है: (संगत कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं) क) केन्द्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ड) विश्वविद्यालय च) अन्य	
12. कृपया यह बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्यरत हैं और फीडर ग्रेड या फीडर ग्रेड के फीडर में है।	
13. क्या आप संशोधित वेतनमान में है? यदि हां तो उस तिथि का उल्लेख करें जब, संशोधन किया गया और संशोधन-पूर्व वेतनमान को भी बताएं।	
14. वर्तमान में प्रतिमाह आहरित की जा रही कुल परिलब्धियां	

वेतन बैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां

15. यदि आवेदक ऐसे संगठन से संबंधित है जो केन्द्र सरकार की वेतनमान का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो निम्नलिखित विवरण दर्शाते हुए संगठन द्वारा जारी आखिरी वेतन पर्ची (सैलरी स्लिप)।

वेतनमान सहित मूल वेतन	महंगाई/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि	कुल परिलब्धियां

और वृद्धि दर सहित	(अलग-अलग ब्यौरे सहित)	
16. (क) अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जो आपके द्वारा आवेदित पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में संगत हो (इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में सूचनाएं दी जाएं): (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएं (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण; और (iii) विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में निर्धारित कार्य अनुभव के अतिरिक्त अनुभव। (टिप्पणी: यदि जगह अपर्याप्त हो तो पृथक कागज संलग्न करें)।		
16. (ख) उपलब्धियां: अभ्यर्थी निम्निलिखित से संबंधित सूचना प्रदान करें- (i) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट तथा विशेष परियोजना; (ii) पुरस्कर/छात्रवृत्ति/शासकीय प्रशस्ति; (iii) व्यावसायिक निकायों/संस्थाओं/समितियों से सम्बद्धता; (iv) स्वयं के नाम में पंजीकृत पेटेंट अथवा संगठन के लिए प्राप्त किए गए पेटेन्ट (v) शासकीय पहचान सहित कोई अनुसंधान/नवोन्मेषी उपाय (vi) कोई अन्य सूचना (टिप्पणी: यदि जगह अपर्याप्त हो तो पृथक कागज संलग्न करें)।		
17. कृपया यह बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/ समामेलन(एबजार्वशन)/पुर्ननियोजन आधार पर आवेदन कर रहे हैं। (केवल केन्द्र/राज्य सरकारों के अधीन अधिकारी ही "एबजार्वशन" के लिए पात्र हैं। गैर सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल अल्पकालिक संविदा के लिए पात्र हैं।)		
# 'एसटीसी' /'एबजार्वशन'/ 'पुर्ननियोजन' का विकल्प उसी स्थिति में उपलब्ध है जब रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से "एसटीसी" अथवा		

'एबजार्वशन' अथवा 'पुर्ननियोजन' द्वारा भर्ती का उललेख किया गया हो।	
18. क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं।	

मैंने रिक्ति पत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं इस बात से भलीभांति परिचित हूं कि चयन समिति द्वारा पद पर चयन के समय मेरे द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य अर्हता/ कार्य अनुभव के संबंध में दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित बायोडेटा में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/विवरण सही हैं और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य हैं और किसी महत्वपूर्ण विवरण जो मेरे चयन से संबंधित है, को दबाया या छिपाया नहीं गया है।

(अभ्यार्थी के हस्ताक्षर)

पता____________

दिनांक__________

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणन

आवेदक द्वारा उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचनाएं/ब्यौरे अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सत्य और सही हैं। वह रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता/रखती है। यदि चयन होता है तो उसे तत्काल कार्य-भार मुक्त किया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि;

(i) श्री/श्रीमती.......... के विरूद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक मामला न ही लंबित है और न ही विचाराधीन है।

(ii) उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है।

(iii) इनके सीआर डोसियर की मूल प्रति संलग्न है। विगत 5 वर्ष के एसीआर की प्रतिलिपियां अवर सचिव, भारत सरकार के रैंक के अधिकारी या उससे ऊपर की टैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित एवं संलग्न हैं।

(iv) पिछले 10 वर्ष के दौरान इन पर कोई छोटी/बड़ी शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है अथवा विगत 10 वर्ष के दौरान इन पर अधिरोपित की गई छोटी/बड़ी शास्तियों की सूची संलग्न हैं (जैसा भी मामला हो)।

(प्रतिहस्ताक्षरित)

(मोहर सहितसाथ नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक अधिकारी)

अनुलग्नक – II

<u>आदाता/मूल विभाग/ कार्यालय द्वारा नोट किए जाने वाले बिन्दु जिन्हें मंत्रालय/ विभाग के अनुपालनार्थ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के परिपत्र में स्पष्ट किया जाएगा -</u>

1. आमतौर पर यदि किसी अधिकारी पर छोटी शास्ति लगाई गई है तो दंड लगाए जाने के बाद से तीन वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता निकासी प्रदान नहीं की जाएगी। आमतौर पर किसी बड़ी शास्ति के अधिरोपित किए जाने के मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2007 के का.ज्ञा सं. 11012/11/2007 स्थापना (ए) के अनुसार, दंड अधिरोपित किए जाने के बाद से 5 वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता निकासी प्रदान नहीं की जाएगी।

2. जो अधिकारी शीघ्र ही अपनी कूलिंग ऑफ अवधि पूरा करने वाले हैं; उनके संबंध में आवेदनों को अग्रेषित करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.01.2013 के का.ज्ञा. सं. 2/1/2012 स्था. (पे II) में निहित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

3. आदाता विभाग द्वारा विज्ञापन सहित एक प्रति वर्ड डाक्यूमेंट के रूप में डाउनलोड किए जा सकने वाले आवेदन पत्र में उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए।

4. यदि रोजगार समाचार में नामांकन/प्रकाशन को आमंत्रित करने की सूचना जारी करते समय रिक्ति पहले से मौजूद है तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में नामांकन की प्राप्ति के लिए विनिर्धारित अंतिम तिथि से पात्रता निर्धारित की जा सकती है। प्रत्याशित रिक्ति के मामले में पात्रता निर्धारण की निर्णायक तिथि वह तिथि होनी चाहिए जिस तिथि को रिक्ति होने की संभावना है।

5. रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में इसका उल्लेख मुख्य रूप से किया जाएगा कि अभ्यार्थियों के द्वारा दावाकृत अर्हता और अनुभव के समर्थन में समर्थनकारी प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों से रहित आवेदन/ सीवी को चयन के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित करने के संबंध में कार्रवाई नहीं की जाएगी।

6. आवेदकों की पात्रता को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि की गणना रोजगार समाचार में रिक्ति/पद के प्रकाशन की प्रथम तिथि को छोड़कर की जाएगी अर्थात 18 से 24 जनवरी 2014 के रोजगार समाचार में प्रकाशित रिक्ति के लिए निर्णायक तिथि की गणना 19 जनवरी 2014 (प्रकाशन की प्रथम तिथि को छोड़कर) से की जाएगी।

7. केन्द्रीय सरकार के वेतनमान का अनुसरण नहीं करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों में कार्यरत आवेदकों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए उनके वेतन/पद के समतुल्य वेतनमान के संबंध में आदाता विभाग द्वारा प्रतिपुष्टि की जा सकती है। जहां भी आवश्यक हो, इस संबंध में ब्यौरों से संबंधित अभिनिश्चय प्रदाता विभाग से किया जा सकता है।